

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34

अंतरिम वित्तीय विवरण

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे एवं सामान्य टाइप में अनुच्छेद दिये गये हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में दिये गये अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं)

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम विषयवस्तु और मान्यता एवं माप सिद्धांतों को निर्धारित करने के साथ-साथ एक अंतरिम अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को पूर्ण अथवा संघनित रूप में निर्धारित करना है। समय पर और विश्वसनीय आधार पर प्रस्तुत की गई वित्तीय रिपोर्टिंग निवेशकों, ऋणदाताओं तथा अन्य की प्रतिष्ठान द्वारा आय अर्जित करने की क्षमता, नकदी प्रवाह, वित्तीय स्थिति और तरलता को समझने की योग्यता में सुधार करती है।

कार्यक्षेत्र

1. यह मानक ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि किन प्रतिष्ठानों को अपनी अंतरिम रिपोर्ट कितनी बार अथवा अंतरिम अवधि के कितने समय बाद प्रकाशित करनी चाहिए। फिर भी, सरकारों, प्रतिभूति नियामकों, स्टॉक एक्सचेंजों एवं लेखा निकायों द्वारा उन प्रतिष्ठानों से प्रायः यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों¹ को प्रकाशित करें जिनकी ऋण अथवा 'इक्विटी' प्रतिभूतियां जनता के बीच खरीदी व बेची (ट्रेडिंग) जाती हैं। यह मानक उस स्थिति में लागू होता है जब प्रतिष्ठान के लिए लेखा मानकों के अनुसरण में अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है या ऐसा करने के लिए वह चुनाव करता है।

[देखें परिशिष्ट 1]

2. प्रत्येक वित्तीय रिपोर्ट को, चाहे वह वार्षिक हो अथवा अंतरिम, भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। यह तथ्य कि एक प्रतिष्ठान ने किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टें प्रदान नहीं की हैं अथवा अंतरिम वित्तीय रिपोर्टें प्रदान तो की हैं, लेकिन, इस मानक के पालन के अनुसार नहीं की हैं तो इससे उन्हें इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वे अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुरूप तैयार व प्रस्तुत न करें बशर्ते वे ऐसा अन्यथा करते हों।

¹ गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीबद्ध करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 41 के अधीन तैयार व प्रस्तुत करना अपेक्षित है लेकिन वे इस मानक के अनुच्छेद 4 में यथापरिभाषित 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट' की श्रेणी में नहीं आते हैं।

3. यदि किसी प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुपालन का उल्लेख है तो उस स्थिति में प्रतिष्ठान को मानक की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ऐसे कुछ अपेक्षित प्रकटनों पर चर्चा की गयी है।

परिभाषाएं

4. प्रस्तुत मानक में निम्नलिखित शब्दावली का यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग किया गया है :

अंतरिम अवधि का आशय वित्तीय रिपोर्टिंग की उस अवधि से है जो पूर्ण वित्तीय वर्ष की अवधि से कम होती है।

अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट का आशय किसी उस वित्तीय रिपोर्ट से है जिसमें या तो वित्तीय विवरणों का पूरा समुच्चय (सैट) होता है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 1 में वर्णित है, या फिर अथवा अंतरिम अवधि के लिए संघनित वित्तीय विवरणों का एक समुच्चय (सैट) होता है (जैसा कि प्रस्तुत मानक में वर्णित है)।

अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की विषयवस्तु

5. भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार, वित्तीय विवरणों के पूरे समुच्चय (सैट) में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होते हैं:

- (क) अवधि के अंत तक का तुलन-पत्र ;
- (ख) अवधि के लाभ एवं हानि का विवरण ;
- (ग) अवधि की इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण ;
- (घ) अवधि के नकदी प्रवाहों का विवरण ;
- (ङ.) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना विषयक टिप्पणियां ;
- (च) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुच्छेदों 38 और 38 (क) में विनिर्दिष्ट पूर्व अवधि से संबंधित तुलनात्मक सूचना; एवं
- (छ) जब प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती प्रभाव से कोई लेखा-नीति लागू करता है अथवा अपने वित्तीय विवरणों की मदों पर पुनर्कथन पूर्वप्रभाव से करता है अथवा अपने वित्तीय विवरणों में दी गयी मदों का पुनर्वर्गीकरण करता है अथवा जब वह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुच्छेदों 40 क-40 घ के अनुसरण में अपने वित्तीय विवरणों की मदों का पुनर्वर्गीकरण करता है तो पूर्व अवधि के आरंभ का तुलन-पत्र।

6. समयबद्धता तथा लागत विचारों के हित में तथा पहले रिपोर्ट की गयी जानकारी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, एक प्रतिष्ठान के लिए यह अपेक्षित है या फिर वह ऐसा करने के लिए चयन कर सकता है कि वह अन्तरिम तिथियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों की तुलना में कम सूचना प्रस्तुत करे। इस मानक में

अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम विषयवस्तु की जिसमें संघनित वित्तीय विवरण एवं चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी सम्मिलित हैं, परिभाषा दी जाती है। अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट से आशय है वार्षिक वित्तीय विवरणों के नवीनतम पूर्ण समुच्चय (सैट) में अद्यतन स्थिति प्रदान करना। अतः यह रिपोर्ट नये कार्यकलापों, घटनाओं और परिस्थितियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती है, न कि पहले से दी गयी सूचनाओं को फिर से दोहराती है।

7. यह मानक किसी प्रतिष्ठान को अपनी अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संघनित वित्तीय विवरणों की चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की बजाय वित्तीय विवरणों के पूर्ण समुच्चय (सैट) [लेखा मानक 1 में यथा वर्णित] प्रकाशन को निषिद्ध या निरुत्साहित करने की मंशा नहीं रखता है। इसी तरह, यह मानक एक प्रतिष्ठान को संघनित वित्तीय विवरणों में न्यूनतम रेखीय मदों से अधिक मदों या (इस मानक में यथा वर्णित) चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियों को सम्मिलित करने को भी निषिद्ध या निरुत्साहित नहीं करता। इस मानक में दिये गये मान्यता एवं माप सिद्धांत भी अन्तरिम अवधि के समस्त वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं और इन विवरणों में इस मानक द्वारा और अन्य लेखा मानकों (इंड ए एस) द्वारा अपेक्षित सभी प्रकटन (विशेषकर, अनुच्छेद 16 क में यथावर्णित चयनित प्रकटन संबंधी टिप्पणियां) सम्मिलित हैं।

अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट के न्यूनतम घटक

8. किसी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में कम-से-कम निम्नलिखित न्यूनतम घटक सम्मिलित होंगे :

- (क) एक संघनित तुलन-पत्र ;
- (ख) लाभ हानि का संघनित विवरण ;
- (ग) इक्विटी में परिवर्तनों का संघनित वितरण;
- (घ) नकदी के प्रवाहों का संघनित विवरण ; एवं
- (ङ) चयनित व्याख्यात्मक टिप्पणियां ।

8. (क) [देखें परिशिष्ट 1]

अंतरिम वित्तीय विवरणों का स्वरूप एवं विषयवस्तु

9. यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों का पूरा समुच्चय (सैट) प्रकाशित किया जाता है तो उन वित्तीय विवरणों के पूर्ण समुच्चय (सैट) के लिए इन विवरणों का स्वरूप एवं विषयवस्तु भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 की अपेक्षाओं के अनुसार होगी ।
10. यदि प्रतिष्ठान अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में संघनित वित्तीय विवरणों को प्रकाशित करता है तो वह इन संघनित वित्तीय विवरणों में मानक के अनुसार कम-से-कम अपने प्रतिष्ठान द्वारा हाल ही के वार्षिक विवरणों में शामिल की गई प्रत्येक जानकारी के शीर्ष एवं उप-योगों (जोड़ों) और चयनित व्याख्यात्मक

टिप्पणियों का भी उल्लेख करेगा। यदि संघनित अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी चूक के कारण कोई भ्रामक जानकारी की आशंका हो तो उसके लिए अतिरिक्त रेखीय मदें अथवा टिप्पणियां जोड़ी जायेंगी।

11. एक ऐसे विवरण में, जिसमें एक अंतरिम अवधि के लिए लाभ अथवा हानि के घटक प्रस्तुत किये जाते हैं, एक प्रतिष्ठान जब वह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33, *प्रति शेयर आय*, के कार्यक्षेत्र में हो, उस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल (बेसिक) अर्जन (आय) व विमिश्रित (डायल्यूटेड) अर्जन (आय) को भी प्रस्तुत करेगा।

11(क) [देखें परिशिष्ट 1]

12. [देखें परिशिष्ट 1]

13. [देखें परिशिष्ट 1]

14. यदि प्रतिष्ठान द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गयी वार्षिक रिपोर्ट समेकित रूप में है तो अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट भी समेकित आधार पर ही तैयार की जायेगी। मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरण उसके अभी हाल ही के वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के न तो अनुरूप होंगे और न ही तुलनीय। यदि प्रतिष्ठान की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त पृथक वित्तीय विवरण भी शामिल हैं तो यह मानक न तो मूल प्रतिष्ठान के पृथक विवरणों को प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में शामिल करने की अपेक्षा करता है और न ही उसका निषेध करता है।

महत्वपूर्ण घटनाएं एवं लेन-देन

15. एक प्रतिष्ठान अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में इन घटनाओं तथा लेन-देनों को सम्मिलित करेगा जो प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति व कार्य-निष्पादन में परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन घटनाओं तथा लेनदेनों से संबंधित प्रकट जानकारी गत वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर संबंधित जानकारी को अद्यतन करेगी।

- 15(क) एक प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट का उपयोगकर्ता इस प्रतिष्ठान की अद्यतन वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को प्राप्त कर सकता है। अतः एक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की टिप्पणियों के लिए यह अनावश्यक होगा कि वह उस जानकारी का उल्लेख करे जो महत्वपूर्ण नहीं है या फिर गत वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में सम्मिलित की जा चुकी है।

- 15(ख) निम्नलिखित सूची उन महत्वपूर्ण घटनाओं तथा लेनदेनों से संबंधित है जिनके लिए प्रकटन अपेक्षित है। लेकिन, यह सूची विस्तृत नहीं है :

(क) सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) का शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य में अवलिखन तथा ऐसे अवलिखन को उलटाना ;

(ख) वित्तीय आस्तियों, संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, अमूर्त आस्तियों, ग्राहकों के साथ अनुषंगों से उत्पन्न आस्तियों व अन्य आस्तियों की क्षतिग्रस्तता से हानि को मान्यता तथा ऐसी क्षतिग्रस्तता हानि को उलटाना ;

(ग) पुनर्संरचना की लागतों के लिए किन्हीं प्रावधानों को उलटाना ;

- (घ) संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की मदों का अधिग्रहण तथा निपटान ;
- (ङ) संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की खरीद के लिए वचनबद्धता ;
- (च) मुकदमों के संबंध में समझौते ;
- (छ) पूर्व अवधि की त्रुटियों का समाधान ;
- (ज) व्यवसाय अथवा उन आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे प्रतिष्ठान की वित्तीय आस्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य प्रभावित होता है और यह कि क्या उन आस्तियों एवं देयताओं को उचित मूल्य अथवा परिशोधित लागत पर मान्यता दी जाती है ;
- (झ) किसी ऋण में चूक अथवा ऋण करार का उल्लंघन जिनका रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक या इससे पूर्व निराकरण नहीं किया गया है ;
- (ञ) संबंधित पक्ष (पार्टी) लेनदेन ;
- (ट) वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को मापने में प्रयोग की जाने वाली उच्चतर उचित मूल्य स्तरों के बीच अंतरण ;
- (ठ) उन वित्तीय आस्तियों के प्रयोजन अथवा प्रयोग में परिवर्तन के फलस्वरूप उन आस्तियों के वर्गीकरण में परिवर्तन ; एवं
- (ड) आकस्मिक दायित्वों अथवा आकस्मिक आस्तियों में परिवर्तन ;

15(ग) उपर्युक्त अनुच्छेद 15 (ख) में सूचीबद्ध मदों में अनेक मदों के लिए अलग-अलग भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) दिशा निर्देश देते हैं। जब कोई घटना अथवा लेनदेन गत वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि से एक प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा कार्य-निष्पादन में परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है तो इसकी आंतरिक वित्तीय रिपोर्ट में आवश्यक स्पष्टीकरण तथा वह अद्यतन जानकारी दी जानी चाहिए जो गत वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हो ।

16-18 [देखें परिशिष्ट 1]

अन्य प्रकटन

16 क. अनुच्छेद 15-15 ग के अनुसार, महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकट करने के अतिरिक्त प्रतिष्ठान अपने अंतरिम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित करेगा बशर्ते यह अंतरिम रिपोर्ट में कहीं और प्रकट न किया गया हो। यह सूचना सामान्यता एक वित्तीय वर्ष-से-तिथि तक आधार पर रिपोर्ट की जायेगी।

- (क) एक विवरण इस आशय से कि अंतरिम वित्तीय विवरणों में आकलन की वही लेखा-नीतियां अपनायी गयी हैं जो कि अत्यंत हाल ही के वार्षिक वित्तीय विवरणों में अपनायी गयी थीं । यदि उन नीतियों या पद्धतियों में कोई परिवर्तन किया गया है तो उस परिवर्तन की प्रकृति तथा प्रभाव का भी उल्लेख किया जाएगा ।
- (ख) अंतरिम परिचालनों की मौसमी अथवा चक्रीय स्थिति के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां।
- (ग) उन आस्तियों, देयताओं, 'इक्विटी', शुद्ध आय अथवा नकदी प्रवाहों को प्रभावित करने वाली मदों की प्रकृति तथा राशि।

- (घ) चालू वित्तीय वर्ष की पूर्व अंतरिम अवधियों में रिपोर्ट की गई राशियों के प्राक्कलनों में परिवर्तनों अथवा पूर्व वित्तीय वर्षों में रिपोर्ट की गयी राशियों के प्राक्कलनों में परिवर्तन की प्रकृति तथा राशि।
- (ङ) ऋण तथा 'इक्विटी' प्रतिभूतियों के निर्गम, पुनर्खरीद तथा पुनर्भुगतान।
- (च) सामान्य अंशों तथा अन्य शेयरों के लिए पृथक रूप में अदा किये गये लाभांश (सकल अथवा प्रति शेयर)²
- (छ) निम्नलिखित खण्डीय सूचना (खण्डीय सूचना का प्रकटन एक प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में केवल तभी अपेक्षित है यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108, *परिचालन खण्ड*, यह अपेक्षा करता है कि प्रतिष्ठान अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में खण्डीय सूचना को प्रकट करेगा):
- (i) बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व, यदि प्रमुख परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा खण्डीय लाभ अथवा हानि के माप की समीक्षा करने में शामिल किया जाता है अथवा अन्यथा, प्रमुख परिचालन निर्णयकर्ता को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
 - (ii) अन्तः खण्डीय राजस्व, यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा खण्डीय लाभ अथवा हानि के माप की समीक्षा में शामिल किया जाता है अथवा अन्यथा मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
 - (iii) एक खण्डीय लाभ अथवा हानि का माप।
 - (iv) एक विशेष रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल आस्तियों व दायित्वों का माप बशर्ते ये राशियां नियमित आधार पर मुख्य परिचालन निर्णायक को प्रदान की जाती है और उस रिपोर्ट योग्य खण्ड के गत वार्षिक विवरणों की प्रकट राशि में कोई सारवान (विशेष) परिवर्तन है।
 - (v) खण्डीय आधार पर अथवा खण्डीय लाभ अथवा हानि के माप के आधार पर गत वार्षिक वित्तीय विवरणों से अंतरों का वर्णन।
 - (vi) कर व्यय (कर आय) तथा बन्द परिचालनों से पूर्व, प्रतिष्ठान के लाभ अथवा हानि के प्रति लाभ अथवा हानि के कुल रिपोर्टयोग्य खण्डों के उपायों का समाधान। तथापि, यदि कोई प्रतिष्ठान कर व्यय (आय कर) के रूप में रिपोर्टयोग्य खण्डीय मदों को आबंटित करता है तो प्रतिष्ठान इन मदों के पश्चात् लाभ अथवा हानि के प्रति लाभ अथवा हानि के कुल खण्ड मापों का समाधान कर सकता है। समाधान वाली सारवान मदों की पृथक रूप से पहचान की जायेगी तथा इस समाधान में उनका वर्णन किया जायेगा।

² यहां 'सामान्य अंशों' से तात्पर्य इक्विटी शेयरों से है।

- (ज) अंतरिम अवधि के पश्चात् की घटनाएं जिन्हें अंतरिम अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है।
- (झ) अंतरिम अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान की संरचना में परिवर्तनों का प्रभाव जिसमें व्यवसाय संयोजन अनुबंधियों पर नियंत्रण प्राप्त करना अथवा खोना तथा दीर्घावधि निवेश, पुनर्संरचना तथा बन्द किये गये परिचालन शामिल हैं। व्यवसाय संयोजनों के मामले में, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 103 *व्यवसाय संयोजन* द्वारा अपेक्षित सूचना प्रकट करेगा।
- (ञ) वित्तीय लिखतों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113, *उचित मूल्य माप*, के अनुच्छेदों 91-93 (ज), 94-96, 98 व 99 और भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 107, *वित्तीय लिखतें : प्रकटन* के अनुच्छेदों 25, 26 और 28-30 द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य प्रकटन।
- (ट) निवेश प्रतिष्ठानों के रूप में अस्तित्व में आने वाले या इस रूप में समाप्त होने वाले प्रतिष्ठानों के लिए यथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, एवं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 112, अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन, अनुच्छेद 9 ख, में यथा वर्णित।
- (ड.) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*, के अनुच्छेदों 114-115 द्वारा अपेक्षित ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का पृथकीकरण।

भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुपालन का प्रकटन

19. यदि किसी प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट इस मानक के अनुपालन के अनुसार प्रस्तुत की गई हो तो इस तथ्य की घोषणा की जाएगी। किसी प्रतिष्ठान की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट को भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुरूप तब तक नहीं माना जायेगा जब तक उसमें भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के तहत सभी सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन न किया गया हो।

अंतरिम वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अवधियां

20. निम्नलिखित अवधियों के लिए अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिनमें अन्तरिम वित्तीय विवरण (संघनित या पूर्ण) सम्मिलित हैं :
- (क) चालू अंतरिम अवधि के अंत में तुलन-पत्र तथा वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व के अंत का तुलनात्मक तुलन-पत्र।
- (ख) चालू अंतरिम अवधि के लिए लाभ व हानि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व की तुलनात्मक अंतरिम अवधियों (चालू तथा वर्ष-से-तिथि तक) के लिए लाभ व हानि के तुलनात्मक विवरण सहित चालू वित्तीय वर्ष-से-तिथि के लिए संचित तौर पर।
- (ग) तत्काल गत वित्तीय वर्ष की समान वर्ष-से-तिथि की अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ चालू वित्तीय वर्ष से तिथि तक संचित इक्विटी में 'परिवर्तनों' का विवरण। (घ) वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व की तुलनात्मक वर्ष-से-तिथि तक की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण सहित चालू वित्तीय वर्ष-से-तिथि तक के लिए संचित तौर पर नकदी प्रवाहों का विवरण।

21. किसी ऐसे प्रतिष्ठान के लिए जिसका व्यवसाय बिल्कुल मौसमी हो, अंतरिम अवधि की समाप्ति तक बारह महीनों के लिए वित्तीय सूचना तथा पूर्व बारह महीनों के लिए तुलनात्मक सूचना लाभदायक हो सकती है तदनुसार जिन प्रतिष्ठानों का व्यवसाय बिल्कुल मौसमी हो पूर्व के अनुच्छेदों में मांगी गई जानकारी के अतिरिक्त ऐसी जानकारी रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित की जा सकती है।

22. [देखें परिशिष्ट 1]

सारवानता

23. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए यह निर्णय लेना कि कैसे मद की पहचान, माप, वर्गीकरण अथवा प्रकटन किया जाए, सारवानता (मैटिरियलिटी) का मूल्यांकन अंतरिम अवधि के वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के आधार पर होगा। सारवानता का मूल्यांकन करते समय, यह मान्यता दी जायेगी कि अंतरिम माप वार्षिक वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के माप की बजाय बहुत हद तक प्राक्कलनों पर निर्भर करता है।

24. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 तथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, *लेखा-नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन तथा त्रुटियां*, एक मद को सारवान या महत्वपूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं यदि इसकी चूक अथवा त्रुटिपूर्ण कथन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 बन्द परिचालन (उदाहरण के लिए) सहित महत्वपूर्ण मदों के पृथक प्रकटन की अपेक्षा की गयी है तथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, *लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन त्रुटियों तथा लेखा-नीतियों में परिवर्तनों की अपेक्षा करता है। इन दोनों मानकों में सारवानता के बारे में परिमाण संबंधी मार्गदर्शन नहीं दिया गया है।*

25. यद्यपि सारवानता (महत्वपूर्णता) के मूल्यांकन के लिए हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है, फिर भी प्रस्तुत मानक अंतरिम अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की मान्यता और प्रकटन निर्णय आधारित है, जिसका कारण अंतरिम आंकड़ों को ठीक प्रकार से समझने से है। अतः, उदाहरणस्वरूप, असामान्य रूप से ही दी गई मदों, लेखा-नीतियों और प्रस्तुत अनुमानों में दिये गये परिवर्तनों की जानकारियों की अंतरिम अवधि के आंकड़ों के रूप में पहचान की जाती है और उनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है ताकि इनके घोषित न किये जाने की वजह से किसी प्रभाव के भ्रम की स्थिति पैदा न हो। कुल मिलाकर इस बात का सुनिश्चय किया जाता है कि अंतरिम रिपोर्ट में सभी अपेक्षित जानकारियां दी गई हैं जिनसे कि अंतरिम अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और उसकी कार्यकुशलता का पता लगाया जा सके।

वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटन

26. यदि किसी वित्तीय वर्ष की अंतिम अंतरिम अवधि के दौरान, प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, किन्तु उक्त अंतिम अंतरिम अवधि के लिए कोई पृथक वित्तीय रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं की गई है। प्राक्कलन में इस परिवर्तन की प्रकृति व राशि उस वित्तीय वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट की जाएगी।

27. भारतीय लेखा मानक 8 प्राक्कलन में परिवर्तन की प्रकृति तथा (यदि व्यवहार्य हो) मात्रा के प्रकटन की अपेक्षा करता है जिसका या तो चालू अवधि में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है या फिर उत्तरवर्ती अवधियों में

महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है। इस मानक का अनुच्छेद 16 क (घ) एक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में इसी प्रकार के प्रकटन की अपेक्षा करता है। उदाहरणों में, अवलिखित सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री), पुनर्संरचनाओं अथवा क्षतिग्रस्त हानियों से संबंधित अंतिम अंतरिम अवधि में प्राक्कलन में परिवर्तन सम्मिलित हैं जोकि वित्तीय वर्ष की एक पूर्व अंतरिम अवधि में रिपोर्ट की गई थी। पूर्ववर्ती अनुच्छेद में अपेक्षित प्रकटन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुरूप है तथा जो मात्र प्राक्कलन में परिवर्तन के सीमित कार्यक्षेत्र तक ही अभिष्ट है। एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित नहीं है कि वह अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में अंतरिम अवधि की अतिरिक्त वित्तीय सूचना को सम्मिलित करे।

मान्यता एवं माप

वार्षिक की तरह ही लेखा-नीतियां

28. प्रतिष्ठान द्वारा अपनी अंतरिम वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेखा-नीतियों का प्रयोग किया जायेगा जिनका कि वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया जाता है लेकिन उन लेखा-नीति परिवर्तनों को छोड़कर जो हाल ही में वार्षिक वित्तीय विवरणों की तिथि के पश्चात् किये जाते हैं और जो आगामी वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित होते हैं। तथापि, एक प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग आवृत्ति (वार्षिक, छमाही अथवा तिमाही) वार्षिक परिणामों के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अंतरिम रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर किया जायेगा।
29. इस अपेक्षा में कि एक प्रतिष्ठान अपने अंतरिम वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेखा-नीतियों का प्रयोग करता है जिनका कि वार्षिक विवरणों में, इसमें यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक अवधि के माप इस तरह से किये जाते हैं कि मानो प्रत्येक अवधि अलग और एक स्वतंत्र रिपोर्टिंग अवधि है। किन्तु अंतरिम अवधि के लिए मान्यताप्राप्त आस्तियों दायित्वों, आय और व्यय के लिए निर्धारित किये गये सिद्धांत वही रहेंगे, जोकि वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए निर्धारित हैं। तथापि इस बात का प्रावधान करते हुए एक प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग की आवृत्ति इसके वार्षिक परिणामों के माप को प्रभावित नहीं करेगी, अनुच्छेद 28 यह स्वीकार करता है कि एक अंतरिम अवधि एक वृहद् वित्तीय वर्ष का एक भाग है। वर्ष-से-तिथि के माप चालू वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती अन्तरिम अवधियों की रिपोर्ट की गयी राशियों के अनुमानों के परिवर्तनों में सम्मिलित होते हैं। लेकिन, अन्तरिम अवधियों की आस्तियों, दायित्वों आय व व्यय की मान्यता के सिद्धान्त वही हैं जो कि वार्षिक वित्तीय विवरणों के होते हैं।
30. उदाहरण के लिए :
 - (क) एक अंतरिम रिपोर्ट में अवलिखित सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) से हानियों, पुनर्गठनों अथवा क्षतिग्रस्तताओं की मान्यता और उनके माप के सिद्धांत वही हैं जो कि प्रतिष्ठान द्वारा अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रयोग किये जाते हैं। लेकिन, यदि किसी एक अंतरिम अवधि में ऐसी मदों को मान्यता दी जाती है और उनका माप किया जाता है और उसके बाद के वित्तीय वर्ष की अंतरिम अवधि में प्राक्कलन परिवर्तित हो जाता है तो बाद की अन्तरिम अवधि में मूल प्राक्कलन को हानि की अतिरिक्त राशि के उपार्जन द्वारा अथवा पहले से मान्यताप्राप्त राशि के विपर्यय (उलटाव) से परिवर्तित कर दिया जाता है।

- (ख) एक लागत जो एक अंतरिम अवधि की समाप्ति पर किसी आस्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है तो वह तुलन-पत्र में तब तक आस्थगित नहीं की जाती जब तक भविष्य में इस पुष्टि की सूचना नहीं मिल जाती कि उस आस्ति की परिभाषा को पूरा कर लिया है अथवा एक वित्तीय वर्ष के अंदर अंतरिम अवधियों में सुगम आय का अर्जन कर लिया है ; तथा
- (ग) आयकर व्यय को उस प्रत्येक अंतरिम अवधि में मान्यता दी जाती है जो पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित भारित औसत वार्षिक आयकर के सर्वोत्तम प्राक्कलन (अनुमान)पर आधारित है। एक अंतरिम अवधि में आयकर व्यय के लिए उपचित राशियों को उस वित्तीय वर्ष की उत्तरवर्ती अंतरिम अवधि में समायोजित करना होगा यदि वार्षिक आयकर दर के प्राक्कलन में परिवर्तन होता है।
31. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में *वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके प्रस्तुतिकरण संबंधी कार्यपद्धति* के अंतर्गत, मान्यता 'एक प्रक्रिया है जिसमें तुलन-पत्र लाभ-हानि विवरण में उस मद को सम्मिलित किया जाता है जो एक तत्व की परिभाषा को पूरा करती है तथा मान्यता के मानदंड को पूरा करती है'। आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की परिभाषाएं वार्षिक तथा अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों ही अवधियों की समाप्ति पर मान्यता के आधारभूत हैं।
32. आस्तियों के लिए आगामी आर्थिक लाभों के परीक्षण, अंतरिम अवधियों की तिथियों और प्रतिष्ठान के पूरे वर्ष की अंतिम अवधि की तिथि, दोनों के लिए एक जैसे ही हैं। लागतें अपनी प्रकृति के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर और अंतरिम अवधियों की तिथियों किसी पर आस्ति की अर्हक नहीं होंगी। इसी प्रकार अंतरिम रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की तिथि पर एक दायित्व मौजूदा बाध्यता का अवश्य प्रतिनिधित्व करेगी जैसा कि एक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वह करती है।
33. आय (राजस्व) और व्यय की एक अनिवार्य विशेषता यह है कि आस्तियों और दायित्वों का संबंधित अन्तर्प्रवाह एवं बहिः प्रवाह पहले ही हो चुका है। यदि वे अन्तर्प्रवाह तथा बहिः प्रवाह पहले ही हो चुके हैं तो संबंधित राजस्व तथा व्यय को मान्यता दी जाती है और यदि वे पहले नहीं हुए हैं तो यह मान्यता नहीं दी जाएगी। *कार्यपद्धति* में यह स्पष्ट किया गया है कि व्ययों को लाभ-हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब एक आस्ति में कमी या एक दायित्व में वृद्धि के कारण भावी आर्थिक लाभों में कमी होती है और उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ... (यह) *कार्य पद्धति* तुलन-पत्र में उन मदों को मान्यता देने की अनुमति नहीं देती जो आस्तियों अथवा दायित्वों की परिभाषा को पूरा नहीं करती है।
34. अपने वित्तीय विवरणों में सूचित आस्तियों, दायित्वों, आय, व्यय तथा नकदी प्रवाहों का माप करने में एक प्रतिष्ठान जो केवल वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करता है वह केवल उसी सूचना को विचार में लेता है जो संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध हो। इसका मूल्यांकन, वास्तव में, वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर होता है।
35. एक प्रतिष्ठान जो छमाही आधार पर रिपोर्ट करता है वह अपने प्रथम छमाही के वित्तीय विवरणों में माप के लिए उस सूचना का उपयोग करता है जो वर्ष के मध्य या उसके तुरंत बाद उपलब्ध हो। इसी तरह, 12 माह की अवधि के वित्तीय विवरणों में उस सूचना का उपयोग करता है जो 12 माह के दौरान या उसके तुरन्त बाद उपलब्ध हो। बारह माह के माप प्रथम छमाही अवधि की रिपोर्ट की गयी राशियों के प्राक्कलनों में संभावित परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करेगा। पहले छह महीनों की अवधि की अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में

सूचित राशियां पूर्व प्रभाव से समायोजित नहीं की जातीं । अनुच्छेद 16 क (घ) तथा 26 में यह अपेक्षा है कि प्राक्कलनों (अनुमानों) में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों की प्रकृति तथा मात्रा प्रकट की जाए ।

36. एक प्रतिष्ठान जो छमाही की बजाय अधिक आवृत्ति में रिपोर्ट करता है तो वह अपने वित्तीय विवरणों के प्रत्येक समुच्चय (सैट) को तैयार करने के लिए उपलब्ध जानकारी का प्रयोग करते हुए प्रत्येक अंतरिम अवधि के लिए वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर आय तथा व्यय का माप करता है। चालू अंतरिम अवधि में रिपोर्ट की गई आय व्यय की राशियां वित्तीय वर्ष की पूर्व अंतरिम अवधियों में सूचित राशियों के प्राक्कलनों में हुए किन्हीं भी परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करेगी। पूर्व अंतरिम अवधियों में सूचित राशियों को पूर्ववर्ती प्रभाव से समायोजित नहीं किया जाता। तथापि अनुच्छेद 16 क (घ) तथा 26 में यह अपेक्षा की गयी है कि प्राक्कलनों (अनुमानों) यदि कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं तो उनकी प्रकृति तथा मात्रा को प्रकट किया जाए।

मौसमी, चक्रीय, अथवा अनियमित आधार पर प्राप्त राजस्व

37. एक वित्तीय वर्ष के अंदर मौसमी, चक्रीय अथवा आकस्मिक आधार पर प्राप्त राजस्व को अंतरिम तिथि के रूप में पूर्वानुमानित और स्थगित नहीं किया जायेगा यदि पूर्वानुमानित अथवा आस्थगित राजस्व प्रतिष्ठान के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपर्युक्त न हो ।
38. राजस्वों के उदाहरणों में लाभांश राजस्व, रायल्टियां और सरकारी अनुदान शामिल हैं। कुछ प्रतिष्ठान एक वित्तीय वर्ष की अन्य अंतरिम अवधियों के बजाय कुछ अंतरिम अवधियों में लगातार अधिक राजस्व अर्जित करते हैं, उदाहरण के लिए, जैसे कि खुदरा व्यापारियों के मौसमी राजस्व। इस प्रकार के राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है, जब वह उत्पन्न होता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान असमान रूप से खर्च की गयी लागतें

39. प्रतिष्ठान के वित्तीय वर्ष के दौरान असमान रूप से खर्च की गई लागतें अंतरिम रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए पूर्वानुमानित अथवा आस्थगित होंगी और वे तभी, और केवल तभी की जायेंगी यदि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस प्रकार की लागत पूर्वानुमानित अथवा आस्थगित करने के लिए भी उपयुक्त हों।
40. [देखें परिशिष्ट 1]

प्राक्कलनों का प्रयोग

41. किसी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में अपनायी जाने वाली माप प्रक्रिया को इस प्रकार से प्रयोग में लाया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणामी सूचना विश्वसनीय है और प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा कार्यनिष्पादन को समझने के लिए संबंधित सभी सूचना उपयुक्त रूप में प्रकट की गई है। हालांकि, वार्षिक तथा अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों दोनों में ही माप प्रायः तर्कसंगत प्राक्कलनों (अनुमानों) पर आधारित होता है, अतः वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की बजाय अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों को तैयार करने में सामान्यतया प्राक्कलन पद्धतियों का अधिक प्रयोग होता है।
42. [देखें परिशिष्ट 1]

पूर्व में रिपोर्ट की गई अंतरिम अवधियों का पुनर्कथन

43. उस परिवर्तन को छोड़कर जो एक नये भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) में विनिर्दिष्ट है, लेखा-नीति में हुआ कोई भी परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा प्रतिबिम्बित किया जायेगा:
- (क) चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम अवधियों के पूर्व की वित्तीय विवरणों और उसके पूर्व में वित्तीय वर्षों की तुलनात्मक अवधियों का पुनर्कथन जिनका कि भारतीय लेखा मानक 8 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरणी में पुनर्कथन किया जाना अपेक्षित है ; अथवा
- (ख) जब चालू वित्तीय वर्ष की पूर्व अंतरिम अवधियों के वित्तीय विवरणों को समायोजित करते हुए सभी पूर्व अवधियों में नयी लेखा-नीति लागू करने के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संचयी प्रभाव निर्धारित करना अव्यवहारिक हो तथा पूर्व वित्तीय वर्षों की तुलनात्मक अवधियों के मामले में यथाशीघ्र पूर्व तिथि से भावी रूप से नयी लेखा-नीति लागू करना ।
44. पूर्ववर्ती सिद्धांत का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेनों के एक विशेष वर्ग पर एक ही लेखा-नीति का प्रयोग किया जाए। भारतीय लेखा मानक 8 के अंतर्गत लेखा-नीति में परिवर्तन, यथासंभव व्यवहार्य, पूर्व अवधि वित्तीय आंकड़ों के पुनर्कथन के साथ पूर्ववर्ती प्रभाव से प्रतिबिम्बित होता है। तथापि, यदि पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित समायोजन की राशि का निर्धारण करना अव्यवहार्य हो तब भारतीय लेखा मानक 8 के अंतर्गत नयी नीति व्यवहार्य यथाशीघ्र तिथि से भावी प्रभाव से लागू की जाती है। अनुच्छेद 43 में सिद्धांत का प्रभाव यह अपेक्षा करता है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंदर लेखा-नीति में कोई भी परिवर्तन या तो पूर्ववर्ती प्रभाव से प्रयोग में लाया जाए या यदि वह व्यवहार्य नहीं हो तो इसे भावी प्रभाव से कम से कम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लागू किया जाए।
45. वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परिवर्तनों को अंतरिम तिथि से प्रदर्शित करने की अनुमति देने का प्रभाव किसी एक वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यकलापों में लागू करना एक ही प्रकार के कार्यकलापों को दो भिन्न-भिन्न लेखा-नीतियों को अपनाये जाने जैसा होगा। इसके परिणामस्वरूप आवंटन अवधि की कठिनाईयां, परिचालन से संबंधित अस्पष्ट परिणाम और अंतरिम अवधि की जानकारी का विश्लेषण व बोधगम्यता और अधिक जटिल होगी ।

परिशिष्ट क

अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग एवं क्षतिग्रस्तता

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 34 (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हुई क्षतिग्रस्तता के लिए ख्याति (गुडविल) का मूल्यांकन करे, और यदि आवश्यक हो तो भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार इस तिथि पर क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता भी दे। तथापि उत्तरवर्ती रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर यदि परिस्थितियों में इतना परिवर्तन आ जाए कि क्षतिग्रस्तता हानि को कम किया जा सकता हो, अथवा उससे बचा जा सकता हो बशर्ते क्षतिग्रस्तता का निर्धारण केवल उस तिथि पर किया गया हो। यह परिशिष्ट इस बात पर दिशा-निर्देश देता है कि क्या ऐसी क्षतिग्रस्तता हानियों को कभी उलटाया जा सकता है।
2. यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 34 की अपेक्षाओं तथा भारतीय लेखा मानक 36 में ख्याति (गुडविल) पर क्षतिग्रस्तता हानियों की मान्यता के बीच अंतर्क्रिया और उस अंतर्क्रिया के प्रभाव पर चर्चा करता है।

मुद्दा

3. भारतीय लेखा मानक 34 का प्रयोग अनुच्छेद 28 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने अंतरिम विवरणों में उन्हीं लेखा-नीतियों का प्रयोग करे जो कि प्रतिष्ठान ने अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रयोग की इसमें यह भी उल्लेख है कि 'प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग आवृत्ति (वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही) का प्रभाव प्रतिष्ठान वार्षिक परिणामों के माप पर नहीं पड़ेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतरिम रिपोर्टिंग प्रयोजनों हेतु माप वर्ष-से-तिथि तक के आधार पर किया जायेगा'।
4. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेद 124 में यह उल्लेख किया गया है कि ख्याति (गुडविल) के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि को उत्तरवर्ती अवधि में उलटाया नहीं जायेगा।
- 5-6. [देखें परिशिष्ट 1]
7. यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दे पर चर्चा करता है:

क्या एक प्रतिष्ठान को ख्याति (गुडविल) पर एक अंतरिम अवधि में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियों को उलटाना चाहिये बशर्ते एक हानि को मान्यता नहीं दी गई हो या कम हानि को तब मान्यता दी मानी जाएगी जब क्षतिग्रस्तता निर्धारण उत्तरवर्ती रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर ही की गई हो।

लेखा सिद्धांत

8. एक प्रतिष्ठान ख्याति (गुडविल) के संबंध में गत अंतरिम अवधि में मान्य एक क्षतिग्रस्तता हानि को नहीं उलटायेगा ।
9. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 तथा अन्य भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के बीच संभावित अंतर्विरोध के अन्य क्षेत्रों में समरूपता द्वारा इस लेखा सिद्धांत का विस्तार नहीं करेगा।

परिशिष्ट ख

अन्य भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है ।

1. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* में समाविष्ट परिशिष्ट ग, *उगाही (लेवी) ।*

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 और अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34, 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग', एवं 'आई एफ आर आई सी' 10, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग एवं क्षतिग्रस्तता के बीच यदि कोई अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाये।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग, एवं 'आई एफ आर आई सी' 10, के साथ तुलना

1. लाभ - हानि विवरणी तैयार करने के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में एकल विवरण दृष्टिकोण अथवा द्वि-विवरण दृष्टिकोण में से किसी एक को अपनाने के विकल्प की व्यवस्था है। परन्तु भारतीय लेखा मानक 34 भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, की तरह, एकल विवरण दृष्टिकोण की अनुमति देता है। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 34 के अनुच्छेद 8 (क) और 11 (क), जो उक्त विकल्प उपलब्ध करवाते हैं, इसमें से हटा दिये गये हैं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 34 की अनुच्छेद संख्याओं की भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे अतः इस आशय से इन अनुच्छेद संख्याओं को इसमें रहने दिया गया है।
2. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थात् शब्दों वित्तीय स्थिति का विवरण के स्थान पर शब्द तुलन-पत्र और शब्दों व्यापक आय का विवरण या लाभ या हानि एवं अन्य आय विवरण के स्थान पर शब्दों लाभ-हानि विवरण का प्रयोग किया गया है।
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 , के अनुच्छेद 1 का अंतिम वाक्य भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 से हटा दिया गया है, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अपेक्षा संबंधित कानून अथवा विनियम द्वारा अधिशासित की जानी चाहिए, न कि इसे एक लेखा मानक के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याओं को 'हटाये गये' के रूप में दर्शाया गया है चूंकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता भारतीय लेखा मानक 34 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे अतः इस आशय से भारतीय लेखा मानक इंड ए एस 34 में इन अनुच्छेद संख्याओं को रहने दिया गया है:
 - (i) अनुच्छेद 13
 - (ii) अनुच्छेद 16
 - (iii) अनुच्छेद 17-18
 - (iv) परिशिष्ट क के अनुच्छेद 5-6

5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक आई ए एस 34 का अनुच्छेद 12, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 में सम्मिलित कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश के लिए संदर्भ का कार्य करता है। इसे भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 से हटा दिया गया है क्योंकि यह (कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश) अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 का अभिन्न अंग नहीं है। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं की कमबद्धता भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 के साथ बनी रहे, अतः इस आशय से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में इन्हें रहने दिया गया है।
6. निम्नलिखित अनुच्छेद दृष्टांत उदाहरणों के संबंध में है जो कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 का अभिन्न अंग नहीं है। इन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में से हटा दिया गया है। लेकिन दोनों में यानि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 व भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 की अनुच्छेद संख्याओं की कमबद्धता बनी रहे, इस इस आशय से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में इन अनुच्छेद संख्याओं को रहने दिया गया है।
- (i) अनुच्छेद 22 - 'दृष्टांत उदाहरण' के दृष्टांत 'क' का यह संदर्भ कि एक प्रतिष्ठान छमाही व तिमाही आधार पर अपने विवरण प्रस्तुत करता है।
- (ii) अनुच्छेद 40 - 'दृष्टांत उदाहरण' के दृष्टांत 'ख' का यह संदर्भ कि अनुच्छेदों 28-39 में सामान्य मान्यता व माप सिद्धांतों का निरूपण किया गया है।
- (iii) अनुच्छेद 42- 'दृष्टांत उदाहरण' के दृष्टांत 'ग' का यह संदर्भ कि अंतरिम अवधियों में प्राक्कलनों (अनुमानों) का प्रयोग।